5G 09.30 AM

NSDL
Technology, Trust & Reach

टोल फ़्री नंबर
1800 1020 990 / 1800 224 430

दूरदर्शी निवेशकों हेतु निक्षेपागार प्रणाली (डिपॉज़िटरी) पर मार्गदर्शिका

स्मार्ट बनिए

होशियार बनिए

सरल डीमैट

NSDL
Technology, Trust & Reach

विषय सूची

अ. बुनियादी बातों से शुरू करें 2

1. पूँजी बाज़ार क्या है?
2. प्रतिभूतियाँ (सिक्युरिटीज़) क्या होती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार का क्या मतलब है?
3. पूँजी बाज़ार में एनएसडीएल की क्या भूमिका है?
4. आप एनएसडीएल डीमैट खाता कैसे खोल सकते हैं?
5. आप अपने एनएसडीएल डीमैट खाते से क्या-क्या कर सकते हैं?

आ. एनएसडीएल डीमैट खाते के साथ मिलने वाली सेवाएँ 5

1.एनएसडीएल स्पीड-ई सेवा
2.एनएसडीएल मोबाइल ऐप
3.एनएसडीएल आइडियाज़ सेवा
4.एनएसडीएल ई-वोटिंग सेवा
5.एनएसडीएल समेकित खाता विवरण (कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट)

इ. दूरदर्शी निवेशक बनिये 7

1. सुनिश्चित करें कि आप एक दूरदर्शी निवेशक हैं
2. डीमैट खाते का ध्यान रखना

ई. अधिक जानकारी 9

1. प्राप्त नहीं किए गए लाभांश/ शेयर के लिए आईईपीएफ से वापसी का दावा करना
2. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए डीमैट की अनिवार्यता
3. गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिए डीमैट की अनिवार्यता
4. निवेशक जागरूकता कार्यक्रम
5. शिकायत निवारण
6. अन्य उपयोगी सेवाएँ

यह प्रकाशन एनएसडीएल इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की एक पहल है| यदि आपको इस पुस्तिका में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो कृपया हमसे info@nsdl.co.in पर संपर्क करें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति www.nsdl.co.in पर उपलब्ध है|

NSDL
Technology, Trust & Reach

प्रिय पाठक,

एनएसडीएल में आपकी रुचि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हम मानते हैं कि प्रत्येक भारतीय को केवल एक निवेशक नहीं, बल्कि एक 'दूरदर्शी निवेशक' बनना चाहिए। आपने इस पुस्तिका को पढ़ने का जो फैसला लिया है, हम उसकी सराहना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसमें दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। इस पुस्तिका में जो जानकारी दी गई है उससे आपको एक 'दूरदर्शी निवेशक'' बनने की ओर एक कदम उठाने में सहायता मिलेगी।
हमने एनएसडीएल के एक लघु परिचय के अलावा उन विभिन्न सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन भी प्रस्तुत किया है जिन्हें आप एनएसडीएल डीमैट खाता खोलने पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अधिक जानकारी या किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत है, तो कृपया हमसे नि:संकोच संपर्क करें।

भवदीय,
टीम एनएसडीएल

अ. आइए बुनियादी बातों से शुरू करें

1) पूँजी बाज़ार क्या है?

आसान शब्दों में कहें तो पूँजी बाज़ार पूँजी या धन का एक ऐसा बाज़ार है जहाँ व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए धन की ज़रूरत वाले लोग ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उन्हें वह धन देने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में, पूँजी बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ लोग अलग-अलग तरह के वित्तीय उपकरणों को ख़रीदते और बेचते हैं। इसमें एक नियंत्रक (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज/शेयर बाज़ार (एनएसई/बीएसई आदि), डिपॉज़िटरी/निक्षेपागार (एनएसडीएल/सीडीएसएल) और दूसरी मध्यवर्ती संस्थाएँ जैसे कि शेयर दलाल, डीपी, निधिपाल, व्यापारी बैंकर, आदि शामिल होते हैं।

2) प्रतिभूतियाँ (सिक्युरिटीज़) क्या होती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार का क्या मतलब है?

प्रतिभूतियाँ (सिक्युरिटीज़) अलग-अलग तरह के वित्तीय उपकरण हैं जिन्हें पूँजी बाज़ारों में खरीदा और बेचा जाता है। दूसरे शब्दों में, इन्हीं उपकरणों के माध्यम से धन प्रदान करने वाले लोग उन लोगों को धन उपलब्ध कराते हैं जिन्हें धन की ज़रूरत है। आइए, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण देखें। श्रीमान क एक मशहूर उद्यमी हैं और कखग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वे कखग लिमिटेड के नाम से एक नया सीमेंट प्लांट शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक बड़ी पूँजी की ज़रूरत है, लेकिन इस राशि की व्यवस्था न तो वे ख़ुद कर सकते हैं और न ही कखग लिमिटेड के लिए ऐसा करना संभव है। इसलिए, कंपनी फैसला लेती है कि वह पूँजी बाज़ार में प्रवेश करेगी और धन के बदले अपने इक्विटी शेयर का प्रस्ताव देगी। इसलिए यह कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ का प्रस्ताव देती है (प्रारंभिक इसलिए है क्योंकि कखग लिमिटेड पहली बार आम जनता से धन की माँग कर रही है)। जनता एक सहमत मूल्य का भुगतान करके शेयर के लिए आवेदन कर सकती है। सभी निर्धारित प्रक्रियाएँ पूरी हो जाने के बाद कंपनी को अपने बैंक खाते में धन प्राप्त हो जाता है और आवेदकों को शेयर जारी किए जाते हैं, और इस तरह से वे कंपनी के शेयरधारक बन जाते हैं।

ऊपर जिस शेयर के बारे में बताया गया है वह एक प्रकार की प्रतिभूति/ सिक्युरिटी है। ऋणपत्र (डिबेंचर), बॉन्ड, म्युचुअल फंड इकाइयाँ (यूनिट्स), वाणिज्यिक/ तिजारती पत्र, जमा प्रमाणपत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, आदि अन्य उदाहरण हैं। जारीकर्ता द्वारा जनता को शेयर या प्रतिभूतियाँ जारी करने को 'प्राथमिक बाज़ार' कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज/ शेयर बाज़ार जो कि पहले से जारी की गई प्रतिभूतियों के व्यापार (खरीदना और बेचना) का बाज़ार है, को 'द्वितीयक बाज़ार' कहते हैं। कोई भी शेयरधारक बीएसई या एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए मंच पर किसी सेबी पंजीकृत शेयर-दलाल/ स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से अपने शेयर बेच सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने शेयर-दलाल के माध्यम से एक सहमति मूल्य (बाज़ार मूल्य) का भुगतान करके ये शेयर खरीद सकता है।

3) पूँजी बाज़ारों में एनएसडीएल की क्या भूमिका है?

एनएसडीएल की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और आज यह संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े निक्षेपागारों/डिपॉज़िटरी में से एक है। एक निक्षेपागार के रूप में यह शेयर और दूसरे प्रकार की प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी अभौतिक रूप में धारण करने में सक्षम करता है। डीमैट खाता रखकर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों के मालिक बन सकते हैं और साथ ही, अपने डीमैट खाते से किसी भी प्रतिभूति को किसी दूसरे खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं।

एनएसडीएल के योगदान से भारतीय पूँजी बाज़ार आज विश्व के प्रमुख पूँजी बाज़ारों में से एक बन चुका है। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकें अपनाकर तथा देश भर में अपनी बेजोड़ पहुँच के बल पर एनएसडीएल निवेशकों तथा दूसरे मध्यवर्तियों का विश्वास जीतने में सफल रहा है। और इस प्रकार इसने अपने प्रचार वाक्य - तकनीक, विश्वास एवं पहुँच को सचमुच सार्थक कर दिया है।

एनएसडीएल अपने 275 से भी अधिक डीपी (डिपॉजिटरी/ निक्षेपागार प्रतिभागी) के नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों, शेयर-दलालों, शेयर बाज़ारों, निधिपालों, आदि को कई सेवाएँ उपलब्ध कराता है। कई बड़े बैंक (राष्ट्रीयकृत, निजी और सहकारी), शेयर-दलाल और वित्तीय संस्थाएँ डीपी के रूप में एनएसडीएल में शामिल हो चुके हैं। एनएसडीएल के डीपी देश भर में फैले 31,300 से भी अधिक सेवा केन्द्रों से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और कुछ तो विदेशों में भी काम कर रहे हैं। एनएसडीएल के सहभागियों और उनके सेवा केन्द्रों की सूची एनएसडीएल वेबसाइट www.nsdl.co.in पर उपलब्ध है।

4) आप एनएसडीएल डीमैट खाता कैसे खोल सकते हैं?

डीमैट खाता खोलना बहुत आसान है। आपको बस एक एनएसडीएल डीपी के पास जाना होगा, जो सारी औपचारिकताएँ पूरी करने में आपकी मदद करेगा। आपको पैन, पहचान और पते का प्रमाण जमा कराना होगा। इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते का विवरण भी प्रदान करना होगा।

आपका डीमैट खाता खुल जाने के बाद आपका डीपी आपको डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी के साथ-साथ एक क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट (जिसमें आपके डीमैट खाते से संबंधित विवरण होगा), टैरिफ शीट और लाभप्रद स्वामी तथा डिपॉजिटरी प्रतिभागी के अधिकार एवं दायित्व की एक प्रति देगा। आपको क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आपका संपूर्ण विवरण सही तरीके से दर्ज कर लिया गया है। यदि आप शेयर, आदि में व्यापार/ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको किसी सेबी पंजीकृत शेयर दलाल के पास एक व्यापारिक/ ब्रोकिंग खाता भी खोलना होगा। ऐसे कई बैंक डीपी हैं जो निवेशकों की सुविधा के लिए एक 3-इन-वन खाते की सुविधा देते हैं (3-इन-वन व्यवस्था तीन खातों यानी डीमैट खाते, व्यापारिक खाते और बैंक खाते का संयोजन होती है)।

5. आप अपने डीमैट खाते से क्या-क्या कर सकते हैं?

नीचे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की सूची दी गई है जिन्हें आप अपने एनएसडीएल डीमैट खाते से कर सकते हैं -

I) आप आईपीओ और एनएफओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में अपने डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को सही तरीके से भरना बिलकुल न भूलें। एक ही डीमैट खाते में आप शेयर और दूसरी तरह की प्रतिभूतियाँ खरीद और धारण कर सकते हैं।

II) आपको अपने डीमैट खाते में अपने सभी कॉर्पोरेट लाभ (बोनस, अधिकार निर्गम, आदि) अपने आप मिल जायेंगे। नकद लाभ जैसे आपकी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश, आपके बांड निवेश पर ब्याज या देय परिपक्वता राशि, आदि आपके डीमैट खाते से लिंक किए गए बैंक खाते में जमा हो जायेंगे। इस हेतु कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डीमैट खाते में बैंक खाता विवरण को सही तरीके से दर्ज किया गया है।

III) अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको अपने निवेशों को बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डीमैट खाते से 'शेयर पर ऋण' सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जो कई बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

IV) अपने डीपी के माध्यम से आप कागज़ी रूप में धारण किए हुए अपने सभी शेयर, बांड, डिबेंचर (ऋण-पत्र), सरकारी प्रतिभूतियों, सॉवरेन गोल्ड बांड और विवरणी के रूप में धारण की हुई म्युचुअल फंड इकाइयों आदि को डीमैट रूप में बदल सकते हैं।

V) आप एक डीमैट खाते में अपने सभी म्युचुअल फंड निवेशों को धारण कर सकते हैं। म्युचुअल फंड इकाइयों को डीमैट खाते में धारण करने से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप एनएसडीएल सीएएस के माध्यम से एक ही जगह पर अपने पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकते हैं। यह आपको उस समय भी विभिन्न म्युचुअल फंड कंपनियों से संपर्क करने की जरूरत से बचाता है जब आप अपनी निजी जानकारी जैसे पता या बैंक के विवरण या नामांकित व्यक्ति, आदि में कोई बदलाव करना चाहते हैं। आप आवेदन फॉर्म में अपने डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी लिखकर सीधे डीमैट फॉर्म में म्युचुअल फंड इकाइ खरीद सकते हैं। आप डीमैट खाते के माध्यम से एसआईपी का तरीका अपनाकर म्युचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। म्युचुअल फंड इकाइयों के मोचन या दोबारा खरीद के लिए आप अपने डीपी को निर्देश दे सकते हैं या एनएसडीएल की स्पीड-ई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

VI) आप अपने डीमैट खाते के माध्यम से कंपनी को अपने शेयर भेजकर वापस खरीद (बायबैक) में भी भाग ले सकते हैं।

VII) अपने डीमैट खाते का उपयोग करने के लिए आपको अपने डीपी को एक निर्धारित फॉर्म में निर्देश देने होंगे। इसके बदले आप किसी भी समय, किसी भी जगह से अपने डीपी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्देश देने के लिए एनएसडीएल की स्पीड-ई सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

भौतिक प्रतिभूतियां डीमैट में बदलने के लिए उपलब्ध हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए https://nsdl.co.in/master_search.php पर जायें।

आ. एनएसडीएल डीमैट खाते के साथ मिलने वाली सेवाएँ

1) एनएसडीएल स्पीड-ई सेवा

स्पीड-ई (स्पीडी बोला जाता है) एनएसडीएल की इन्टरनेट आधारित एक सुविधा है। यह डीमैट खाता धारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी, गिरवी और म्युचुअल फंड के मोचन से जुड़े निर्देश देने में सक्षम करता है। इस तरह से यह प्रक्रिया को काफी तेज़, सुरक्षित एवं कुशल बनाता है। डीमैट खाता धारक इस सुविधा का लाभ केवल तब ही उठा सकते हैं जब उनका डीपी यह सेवा प्रदान करता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://eservices.nsdl.com/ पर जायें।

2) एनएसडीएल मोबाइल ऐप

एनएसडीएल ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिससे आप धारिता का विवरण और मूल्यांकन देख सकते हैं और किसी भी समय, किसी भी जगह से ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यह पूरी तरह से नि:शुल्क है।

3) एनएसडीएल आइडियाज़ सेवा

आइडियाज़ एक इंटरनेट आधारित सुविधा है जिससे आप धारिता का विवरण और मूल्यांकन देख सकते हैं और किसी भी समय, किसी भी जगह से ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपको ई-सीएएस की सदस्यता लेने, जिस ईमेल आईडी में आप ई-सीएएस प्राप्त करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को डीमैट खाते में अद्यतन करने और पिछले 12 महीनों के ई-सीएएस देखने और डाउनलोड करने में सक्षम करता है। यह सुविधा पूरी तरह से नि:शुल्क है।

4) एनएसडीएल ई-वोटिंग सेवा

एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) हर शेयरधारक को उसके वोट करने के अधिकार का उपयोग करने में मदद करता है जिसके लिए उसे कंपनी सभा की जगह पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ई-वोटिंग सेवा को स्पीड-ई के साथ-साथ एनएसडीएल मोबाइल ऐप के साथ भी जोड़ दिया गया है। यह सुविधा पूरी तरह से नि:शुल्क है।

IndiaBondInfo

विविध ऋण पत्रों कि जानकारी एक हि स्थान पर उपलब्ध है

देखिये : https://www.indiabondinfo.nsdl.com

5) एनएसडीएल समेकित खाता विवरण/ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (सीएएस)

I) एनएसडीएल हर डीमैट खाताधारक को उसके सभी डीमैट खातों और म्युचुअल फंड निवेश के लिए एक समेकित खाता विवरण/ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (सीएएस) भेजता है। प्रथम धारक के पैन के आधार पर होल्डिंग का संकलन किया जाता है।

II) यह विवरण हर महीने भेजा जाता है यदि उस महीने के दौरान खाते में कोई लेन-देन किया गया हो। यदि आपने अपने डीपी को अपना ईमेल आईडी और सहमति प्रदान की है, तो आपको विवरण ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

III) आपके सभी डीमैट खातों एवं म्युचुअल फंड फ़ोलियो में आपने जितने भी निवेश रखे हुए हैं, उन सभी के लिए अंतिम शेष और विवरण अवधि की जाँच करें।

IV) विवरण में आपके हर निवेश के मूल्य और समस्त पोर्टफोलियो मूल्य के साथ-साथ एक ग्राफ़ दिया जाता है जो उस अवधि के दौरान कुल पोर्टफोलियो मूल्य में हुए बदलावों को दिखाता है।

V) इसमें दूसरे विवरण भी शामिल होते हैं, जैसे कि आपका केवाईसी है या नहीं, आपके म्युचुअल फंड फोलियो में दिया गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आदि। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई दे या आपको कोई जानकारी अद्यतन करानी है, तो आप म्युचुअल फंड कंपनी या उसके रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

VI) विवरण न मिलने या उसमें कोई त्रुटि दिखाई देने की स्थिति में कृपया अपने डीपी से तुरंत संपर्क करें।

VII) एनएसडीएल ने आइडियाज़ और https://nsdlcas.nsdl.com/ पर एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, ताकि डीमैट खाताधारक सीधे एनएसडीएल को अपना ईमेल आईडी देकर ईमेल के माध्यम से सीएएस (ई-सीएएस) प्राप्त कर सकें।

NSDL
Technology, Trust & Reach

इ. दूरदर्शी निवेशक बनिये

1) सुनिश्चित करें कि आप एक दूरदर्शी निवेशक हैं। एक दूरदर्शी निवेशक...

- पूँजी बाज़ार में किसी भी निवेश के लिए हमेशा किसी सेबी पंजीकृत शेयर दलाल या प्राधिकृत व्यक्ति से ही व्यवहार करता है।
- सभी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ता है।
- हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज़ों, खाता विवरण, प्राप्त संविदा पत्रों (कॉन्ट्रैक्ट नोट) की प्रति और किए गए भुगतानों का रिकॉर्ड रखता है।
- अपने वित्तीय लक्ष्यों और पोर्टफोलियो पर समय समय पर पुनर्विचार करता है।
- प्रभावी निगरानी के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को खाते में दर्ज करवाता है और एनएसडीएल सुविधाओं जैसे कि मोबाइल ऐप, एनएसडीएल ई-सीएएस, आइडियाज़, आदि का उपयोग करता है।
- म्युचुअल फंड से जुड़ी किसी भी सेवा के लिए एएमएफआई (एम्फी) पंजीकृत म्युचुअल फंड वितरकों से व्यवहार करता है।
- हमेशा बैंकिंग माध्यमों से निवेश करता है, यानी नकद में कोई लेन-देन नहीं करता।

2) डीमैट खाते का ध्यान रखना

आप अपने डीमैट खाते में अपने मूल्यवान निवेश रखते हैं। नीचे दी गयी कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि जहाँ एक तरफ आप एनएसडीएल डीमैट खाते की विभिन्न सुविधाओं का लगातार आनंद ले सकें, वहीं दूसरी ओर आपके निवेश भी लगातार सुरक्षित रहें।

I) अपनी व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आपका पता) में या आपके डीमैट खाते से लिंक किए गए बैंक खाते के विवरण में कोई भी बदलाव होने पर तुरंत अपने डीपी को निर्धारित फॉर्मेट में सूचित करें और प्रणाली में नई जानकारी दर्ज होने का पुष्टिकरण प्राप्त करें।

II) अपने डीमैट खाते में नामांकन सुविधा का उपयोग करें। इससे खाताधारक की मृत्यु होने पर शेयर आदि के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आप अपने डीमैट खाते में 3 नामांकित व्यक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी समय नामांकित व्यक्ति(यों) के नाम बदल सकते हैं।

III) किसी व्यक्ति को आपके डीमैट खाते के उपयोग की अनुमति देने के लिए उसे पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी देने से पहले, दी जा रही शक्तियों की सीमा और आशयों की बड़े ध्यान से जाँच कर लें।

IV) अपने डीपी से सुपुर्दगी निर्देश पर्ची (डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप - डीआईएस) केवल उसी स्थिति में स्वीकार करें जब हर पर्ची पर क्रम संख्या के साथ-साथ आपका क्लाइंट आईडी भी पहले से मुद्रित हो। इसे किसी सुरक्षित जगह पर संभालकर रखें। कभी भी किसी खाली फॉर्म या डीआईएस पर हस्ताक्षर न करें। किसी भी फॉर्म को पूरा भरने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें।

V) सीधे एनएसडीएल से एसएमएस अलर्ट (चेतावनियाँ) और नियमित रूप से नवीनतम जानकारी/ अद्यतन प्राप्त करने के लिए खाता खोलने के फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर लिखें। यह सुविधा आपके लिए नि:शुल्क है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलते हैं, तो तुरंत अपने डीपी को निर्धारित तरीके से सूचित करें और प्रणाली में बदलाव का पुष्टिकरण प्राप्त करें। इससे सुनिश्चित होगा कि आपको एनएसडीएल से चेतावनियाँ/अलर्ट लगातार मिलते रहेंगे।

VI) ईमेल के माध्यम से सीधे एनएसडीएल से अपने सभी निवेशों का एक समेकित विवरण प्राप्त करने के लिए https://nsdlcas.nsdl.com/ पर एनएसडीएल ई-सीएएस की सदस्यता लें।

VII) एनएसडीएल हर महीने एक पत्र 'द फाइनेंशियल केलिडोस्कोप' प्रकाशित करता है, ताकि आपको एनएसडीएल के विभिन्न उत्पादों/ सेवाओं तथा निक्षेपागार/ डिपॉज़िटरी प्रणाली की दूसरी ज़रूरी सुविधाओं के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सके।

कृपया https://nsdl.co.in/e-newsletter.php पर अपना ईमेल आईडी प्रदान करके इसकी सदस्यता लें।

आपके पढने के लिए इस पत्र के सभी पिछले संस्करण https://nsdl.co.in/publications/nest.php पर उपलब्ध हैं।

ई. अधिक जानकारी

1. प्राप्त नहीं किए गए लाभांश/ शेयर के लिए आईईपीएफ से वापसी का दावा करना

सभी लाभांश और शेयर जिनका किसी कारणवश लगातार सात वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया है या जिनके लिए दावा नहीं किया गया है, वे संबंधित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। आईईपीएफ एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन कम्पनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। निवेशक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान न किए गए लाभांश और/या दावा न किए गए शेयर प्राप्त करने के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावा प्रस्तुत करना होगा। दावा करने वाले व्यक्ति को आईईपीएफ - 5 फॉर्म डाउनलोड करके, उसे भरकर ऑनलाइन आईईपीएफ अथॉरिटी पर अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त, दावा फॉर्म और ऑनलाइन बनी पावती को प्रिंट करके उन्हें दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ संबंधित कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के पास भौतिक रूप से जमा कराना चाहिए। दावे के सत्यापन के बाद कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पास दावे का पुष्टिकरण करेगी, जो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावाकर्ता के बैंक खाते में धन वापसी (रिफंड) की प्रक्रिया शुरू करेगी। यदि दावा शेयर के लिए है, तो उन्हें दावा फॉर्म में बताए गए डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा। एक आवेदक एक वित्त वर्ष में हर कंपनी के लिए केवल एक दावा फॉर्म जमा कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.iepf.gov.in/ पर जायें। आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि सभी कंपनियों के लिए अपनी वेबसाइट पर दावा न किए गए शेयर और लाभांश के विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य है।

2. प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए डीमैट की अनिवार्यता

सेबी ने आदेश दिया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैट फॉर्म में ही होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयर भौतिक रूप में हैं और आप उन्हें किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो आप यह काम केवल उन्हें डीमैट रूप में बदलने के बाद ही कर सकते हैं। इस तारीख़ से भौतिक रूप में धारण किए गए शेयर, आदि के लिए केवल प्रेषण (ट्रांसमिशन - यानी शेयरधारक की मृत्यु होने पर शेयर का हस्तांतरण) और प्रतिस्थापन (ट्रान्सपोज़ीशन - यानी शेयर धारकों के नामों का क्रम बदलना) की अनुमति है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक डीमैट खाता खोलना और अपने सभी शेयर को डीमैट रूप में बदलना उपयोगी होगा।

3. गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिए डीमैट की अनिवार्यता

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को अनिवार्य रूप से निक्षेपागार प्रणाली में शामिल होना होगा और अपने शेयर डीमैट रूप में उपलब्ध कराने होंगे। ये कंपनियाँ इसके बाद शेयर केवल डीमैट रूप में ही जारी कर सकेंगी। ये दोनों बातें दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी हैं। निवेशकों के लिए गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों में अपनी धारिताओं (होल्डिंग) को डीमैट रूप में बदलना और संबंधित लाभों का आनंद लेना संभव हो गया है। ध्यान दें कि यदि आपके पास पहले से एक डीमैट खाता है तो आपको ये शेयर डीमैट में रखने के लिए दूसरा डीमैट खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो निवेश भौतिक / कागज़ी रूप में हैं उन्हें उसी डीमैट खाते में डीमैट रूप में बदला जा सकता है, बशर्ते धारिताओं का स्वरूप एक समान है।

4. निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

एनएसडीएल की ओर से देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की समय-सारणी https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php पर उपलब्ध है। यदि आप अपने शहर, हाउसिंग सोसाइटी, महाविद्यालय, संस्था, आदि में निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, तो हमें info@nsdl.co.in पर ज़रूर लिखें।

5. शिकायत निवारण

यदि आपको डीमैट खाते से जुड़ी कोई शिकायत है, तो कृपया हमें relations@nsdl.co.in पर लिखें। आप शिकायत को सेबी के पास ऑनलाइन https://scores.gov.in/scores/Welcome.html पर भी दर्ज करा सकते हैं।

6. एनडीएमएल, जो एनएसडीएल की 100% सहायक कंपनी है, की उपयोगी सेवाएँ

I) एनएसआर (राष्ट्रीय कौशल रजिस्ट्री/ नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री): एनएसआर एक वेब-आधारित प्रणाली है जिसमें भारतीय आईटी एवं आईटीईएस/ बीपीओ उद्योग के वर्तमान एवं संभावित कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध है। यह नैसकॉम की ओर से की गई पहल है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://nationalskillsregistry.com पर जायें।

II) केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी: निवेशकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रिकत अपलोड और डाउनलोड करना। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://kra.ndml.in पर जायें।

III) राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार/ नेशनल अकैडमिक डिपाजिटरी (एनएडी): विद्यार्थियों, सत्यापकों और शैक्षिक संस्थाओं के लिए अधिप्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://nad.ndml.in पर जायें।

IV) एनआईआर खाता (ई-बीमा खाता): एनडीएमएल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की ओर से एक बीमा कोष/ इंश्योरेंस रिपॉज़िटरी की स्थापना की है। यह एक ई-बीमा खाते में सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ रखने की सुविधा देता है और बीमाकृत व्यक्ति को केवल एक लॉग इन से सभी बीमा पॉलिसियों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम करता है। आप यह खाता नि:शुल्क खोल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.nir.ndml.in/ पर जायें।

NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED

NSDL
Technology, Trust & Reach

प्रतिपुष्टि/फ़ीडबैक फॉर्म

(हमारे निवेशक जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते समय इस फॉर्म का उपयोग करें)

कार्यक्रम तिथि : DD MM YYYY   स्थान :

विवरण (कृपया उचित स्थान में सही का निशान लगाएँ।)	बेकार	संतोषजनक	अच्छा	उत्कृष्ट
आपको कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाएँ कैसी लगी?				
प्रदान की गई सामग्री की गुणवत्ता				
सत्र 1 के लिए प्रशिक्षक का मूल्यांकन – प्रशिक्षक का नाम				
अ. विषय की जानकारी				
आ. प्रस्तुतिकरण				
इ. दर्शकों के साथ बातचीत				
सत्र 2 के लिए प्रशिक्षक का मूल्यांकन – प्रशिक्षक का नाम				
अ. विषय की जानकारी				
आ. प्रस्तुतिकरण				
इ. दर्शकों के साथ बातचीत				

- आपको इस कार्यक्रम के बारे में कैसे पता चला ? कृपया उचित स्थान में सही का निशान लगाएँ।

☐ ईमेल ☐ एसएमएस ☐ समाचार पत्र ☐ अन्य ....

- इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव।

- यदि आप हमारा पत्र 'द फाइनेंशियल केलिडोस्कोप' प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया अपना ईमेल आईडी प्रदान करें -

----

नामः ....   मोबाइल नंबरः ....

NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED

NSDL
Technology, Trust & Reach

(कृपया इस फॉर्म को पूरा भरें और हमें सौंप दें/ भेज दें)

1.क्या आपके पास डीमैट खाता है?

☐ हाँ ☐ नहीं

2.यदि नहीं, तो क्या आप एक डीमैट खाता खोलना चाहेंगे?

☐ हाँ ☐ नहीं

3.यदि हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा डीपी डीमैट खाता खोलने के लिए आपसे संपर्क करे?

☐ हाँ ☐ नहीं

4.क्या आपको मालूम है कि आप अपनी म्युचुअल फंड इकाइयों को डीमैट रूप में बदल सकते हैं?

☐ हाँ ☐ नहीं

5.क्या आपको मालूम है कि आप म्युचुअल फंड इकाइयों को सीधे डीमैट रूप में खरीद सकते हैं?

☐ हाँ ☐ नहीं

6.क्या आपको मालूम है कि एनएसडीएल एक समेकित खाता विवरण / कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (सीएएस) भेजता है जिसमें आपके द्वारा डीमैट रूप में धारण किए हुए सभी निवेशों और म्युचुअल फंड इकाइयों के विवरण शामिल होते हैं?

☐ हाँ ☐ नहीं

एनएसडीएल के निवेशक-केन्द्रित उत्पाद एवं सेवाएँ

i) एनएसडीएल आईडियाज़

निवेशकों के लिए अद्यतन की गई धारिताओं / होल्डिंग और मूल्यांकन ऑनलाइन देखने की सुविधा।

क्यूआर कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर जायें।

https://eservices.nsdl.com/

ii) एनएसडीएल मोबाइल ऐप

किसी भी समय, किसी भी जगह तुरंत अपना खाता विवरण देखने के लिए मोबाइल ऐप।

ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। या नीचे दि गायी लिंक पर जाये

गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध।

प्ले स्टोर के लिए

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msf.NSDL.Android

ऐप स्टोर के लिए

https://itunes.apple.com/in/app/nsdl/id922834763?mt=8

iii) राष्ट्रीय बीमा कोष/ नेशनल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी (एनआईआर)

सभी बीमा पॉलिसियाँ रखने के लिए नि:शुल्क ई-बीमा खाता, यानी आप एक ही जगह पर जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियाँ रख सकते हैं।

आज ही एक नि:शुल्क ई-बीमा खाता खोलें!

क्यूआर कोड स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर जायें

https://nironline.ndml.in/NIR/onlineEiaApplicationFormEkyc.html

iv) राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार/ नेशनल अकैडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी)

शैक्षिक प्रमाणपत्रों को देखने के लिए नि:शुल्क ऑनलाइन विद्यार्थी खाता

आज ही एक नि:शुल्क एनएडी खाता खोलें! क्यूआर कोड स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर जायें

https://nad.ndml.in/NAD/newStudentRegistrationScreen.html

टिप्पणियाँ

NSDL
Technology, Trust & Reach

मुख्य कार्यालय

मुंबई

चौथी मंज़िल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013
दूरभाष: (022) 2499 4200 ईमेल: info@nsdl.co.in

शाखा कार्यालय

अहमदाबाद

402, चौथी मंजिल, हेरिटेज होराइज़न, आफ सी. जी. रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 दूरभाष: (079) 2646 1375

बेंगलुरु

ऑफिस नंबर 106, डीबीएस हाउस, 26, कनिंगम रोड, बेंगलुरु – 560052 दूरभाष: (080) 4040 7106

चेन्नई

6ए, छठी मंजिल, केन्सेस टॉवर्स, #1 रामकृष्ण स्ट्रीट, नॉर्थ उस्मान रोड, टी. नगर, चेन्नई – 600017
दूरभाष: (044) 2814 3911 / (044) 2814 3917

हैदराबाद

212, वर्कफैला बिल्डिंग, 6-3-252/2, मेन रोड, एर्रम मंजिल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना - 500004

जयपुर

207, दूसरी मंजिल, आर्केड टॉवर, के-12, मालवीय मार्ग, सी - स्कीम, जयपुर - 302001 दूरभाष: (0141) 2366347

कोची

सुइट नंबर S - 105, मोनलैश बिज़नेस सेंटर, चौथी मंजिल, क्रेसेंस टॉवर, एनएच 47,
चंगमपुज्हा नगर पोस्ट, कोची - 682033। दूरभाष: (0484) 2933 075

कोलकाता

यूनिट 2 ई, दूसरी मंजिल, द मिलेनियम, 235/2ए, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता - 700020
दूरभाष: (033) 2290 4243 / (033) 2290 4246

लखनऊ

यूनिट नंबर 438, चौथी मंजिल, रेगस बिजनेस सेंटर, हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज, लखनऊ - 226001 दूरभाष: (0522) 6672325

नई दिल्ली

यूनिट नंबर 601, 603, 604, छठी मंजिल, टॉवर -ए, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001। दूरभाष: (011) 2335 3814 / (011) 2335 3815

निवेशक संबंध इकाइ
ईमेल : relations@nsdl.co.in

February - 2022

निवेशक हेल्पलाइन (टोल फ्री)
1800 1020 990 / 1800 224 430

www.nsdl.co.in